

पत्र संख्या : ८४/४७०१ यो०ज०सं०-११/२०१२

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, याँत्रिक;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: २१.७.२०१२

विषय :- मॉग संख्या-४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीष-४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीष-८०—सामान्य, लघु शीष-८००—अन्य व्यय, उप शीष-५४—पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० विस्तृत शीष-०५—निर्माण, ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड-४९P470180800540543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीष/उप शीष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीष/उप मुख्य शीष	लघु शीष/उप शीष	विस्तृत शीष/विपत्र कोड	अतिरिक्त आवंटन (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९—जल संसाधन विभाग / ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /८०—सामान्य/	८००—अन्य व्यय/ ५४—पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	०५—निर्माण, ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण ४९P470180800540543	10.04

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दस लाख चार हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६००.०० लाख (छ: करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

११.८८

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

६९

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

४४

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

५५

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

८१

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ८१

रॉची, दिनांक :- २१.७.२०१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

८१

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ८१.

रॉची, दिनांक :- २१.७.२०१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

M.C.L

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

G.C

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

S.K.S

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

U

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक ८५.....
मांग संख्या-४९-जल संरक्षण विभाग
मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य
लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय।

उप शीर्ष-५४-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का इ०आर०एम०
तिरसुत शीर्ष-०५-निर्माण ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण
विपत्र कोड- ४९P470180800540543

वित्तीय वर्ष १२-१३ में बजट उपबंध ₹ ६००.०० लाख (₹ रु. करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमांडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की स्थीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आवंटन				
							पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित राशि	अन्युक्रित	
							7	8	9	10	11
1	सिंचाई यांत्रिक प्रमांडल, देवधर	यांत्रिक	कड़िया लीयर योजना का इ० आर. एम।	1 पी.एम.सी. / कार्य / ३३१/०५-५८/०७-०८ प्र.स्वी.दिनांक -०१.०२.०८	472.740	407.40	24.89	10.04	34.93		
			योग	407.40	24.89	10.04				34.93	

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दस लाख चार हजार मात्र।

१८५४
(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अमियता

१८५५
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अमि.)

१८५६
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अमि.)

१८५७
(ईस० के० शंतपथी)
प्रधान सचिव